

(347) निरा-3701/2018/रीवा/भूर्ला (223)

न्यायालय : मानवीय राजस्व मैडल म०प्र० गवा लियर सर्किट कोर्ट रीवा, म०प्र०.

राजनिगरानी क्र०/ 1018



01-धनपतलाल ब्रा० तनय श्री मतिधीर प्रसाद ब्रा० पेशा-नौकरी

02-धनेन्द्र प्रसाद पिता श्री मतिधीर प्रसादब्रा० पेशा-खेती

आपेक्षा प्रा. भी अंगूष्ठे दोनों निवासी ग्राम बीडा, थाना व तह० सेमरिया जिला रीवा, म०प्र०.

श्री मतिधीर प्रसाद ब्रा० / 18-6-18  
क्र. कागज/

---- आवैदकगण

बनाम्

18-6-18 01- अच्छेलाल ब्रा० पिता द्वारिका प्रसाद ब्रा०

कल्पक ओफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म०प्र० गवालियर- कछेलाल पिता सुखनेन्दन राम ब्रा०  
(सर्किट कोटी) दीया 03 दिवाळू-प्रसाद ब्रा० !!  
04 अखिलेश प्रसाद ब्रा० !!

05- अनिल प्रसाद ब्रा० चाको के पिता श्री गिरधारीलाल ब्रा०

06- कृष्ण कुमार ब्रा० !!

तभी निवासीगण ग्राम बीडा, थाना तह० सेमरिया जिला रीवा, म०प्र०.

----- अनावैदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायव तहसीलदार  
तह० सेमरिया वृत्त शाहपुर, जो राज०प्र० ३० 162/  
अ-27/16-17 मे दिनांक 14.05.018 को पारित  
किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भूरा०स० 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

101। यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

*[Signature]*

नम०-३७०।। २०१८।। राजस्व भूरा

223

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ३७०।। ३७०।। नं. री।। २०।। जिला रीवा  
विरुद्ध नं. री।। २०।। अनुवृत्ति नं. री।।

| 1       | 2   | 3 |
|---------|---|---|
| 17-1-19 | 1. आवेदक की ओर से श्री. मनोज कुमार तिवारी अधिवक्ता<br>द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील खेमरीया।<br>के प्रकरण क्रमांक १६२।। १७।। १८।। १९।। में पारित<br>आदेश दिनांक १५-०५-१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी<br>है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये<br>संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50<br>सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण<br>कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया<br>जाता है। उभयपक्ष दिनांक २९-३-१९ को<br>कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित<br>हो। |   |

सदस्य

खाना  
अमृत